प्रेस नोट थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर दिनांक 31.08.2025

स्वयं को गोली मारकर घायल करने व पुलिस को झूठी सूचना देकर अभियोग कराने के आरोप में 02 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अदद अवैध पिस्टल,02 अदद जिन्दा कारतूस, 01 अदद खोखा कारतूस 32 बोर बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी बाँसगाव के पर्यवेक्षण मे, थानाध्यक्ष विशाल कुमार सिंह के नेतृत्व मे उ0नि0 विनय कुमार सिंह मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 274/25 धारा 109,352 भा0न्या0सं0 से संबंधित अभियुक्तगण 1.राहुल गौतम व 2.अनूप पांडे को 01 अदद अवैध पिस्टल,02 अदद जिन्दा कारतूस, 01 अदद खोखा कारतूस 32 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी तथा धारा 109,352 बीएनएस का लोप किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 29.08.25 को राहुल गौतम उपरोक्त द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दी गयी कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उन्हे गाली देते हुए जान से मारने की नियत से पिस्टल से फायर किया गया जिससे गोली उनके कंधे पर लगी तथा वह गंभीर रूप से घायल हो गये जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में ज्ञात हुआ कि सूचनाकर्ता राहुल गौतम ने कर्जे से परेशान होकर अपने मित्र अनूप पाण्डेय के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से स्वयं को गोली मारकर घायल कर लिया गया तथा पुलिस को झूठी सूचना दी गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम/पता व आपराधिक इतिहास-

1.राहुल गौतम पुत्र अनिल गौतम निवासी 117/110 P ब्लाक हितकारी नगर थाना काकादेव जनपद कानपुर नगर

(1) मु0अ0सं0 59/22 धारा 392/,411 थाना नवाबगंज सेंट्रल कमिश्नरेट कानपुर नगर

(2) मु0अ0सं0 81/22 धारा 395,397,412 आईपीसी थाना नवाबगंज सेंट्रल कमिश्नरेट कानपुर नगर

(3) मु0अ0सं0 82/22 धारा 307 आईपीसी थाना नवाबगंज सेंट्रल कमिश्नरेट कानपुर नगर

(4) मु0अ0सं0 153/22 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंध समाज विरोधी क्रियाकला अधिनियम 1986 थाना नवाबगंज सेंट्रल कमिश्नरेट कानपुर नगर

(5) मु0अ0सं0 237/21 धारा 279, 337, 338, 356 भादसं थाना काकादेव जनपद सेंट्रल कमिश्नरेट कानपुर नगर

(6) मु0अ0सं0 274/25 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर

2.अनूप पांडे पुत्र श्री रामसूरत पांडे निवासी 117/125 सी पुरानी बस्ती थाना काकादेव जनपद कानपुर

1. मु0अ0सं0 274/25 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर

बरामदगी-

01 अदद अवैध पिस्टल,02 अदद जिन्दा कारतूस, 01 अदद खोखा कारतूस 32 बोर

गिरफ्तारी की टीम-

1. उ0नि0 विनय कुमार सिंह थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर
2. का0 संतोष यादव थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर
3. का0 सुरेंद्र वर्मा थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर